



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032026-270998
CG-DL-E-17032026-270998

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1297]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1297]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1356(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के कि.मी. 0 से कि.मी. 14 तक के भू-खण्ड पर करौली बाईपास के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के कि.मी. 0 से कि.मी. 14 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: करौली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: करौली					
गांव का नाम: करौली					
1	2306	निजी	बंजड़ 1	0.0262 (हेक्टेयर)	0.0262
2	2326/1	निजी	तीर 2	0.0323 (हेक्टेयर)	0.0323
3	2326/2	निजी	तीर 2	0.1053 (हेक्टेयर)	0.1053
4	2327/2	निजी	गे मु नाला	0.0378 (हेक्टेयर)	0.0378
5	2332/1	निजी	बंजड़ 2	0.0273 (हेक्टेयर)	0.0273
6	2332/2	निजी	बंजड़ 2	0.1074 (हेक्टेयर)	0.1074
7	2332/3	निजी	बंजड़ 2	0.0974 (हेक्टेयर)	0.0974
8	2333/1	निजी	बंजड़ 2	0.0494 (हेक्टेयर)	0.0494
9	2333/2	निजी	बंजड़ 2	0.0576 (हेक्टेयर)	0.0576
10	2347/1	सरकारी	गे मु पहाड़ (वन विभाग)	0.7427 (हेक्टेयर)	0.7427
11	3139	निजी	बारानी 1	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
12	3140	निजी	बारानी 1	0.1345 (हेक्टेयर)	0.1345
13	3198	सरकारी	चाह (सिंचाई विभाग)	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
14	3199	सरकारी	चाही 2 (सिंचाई विभाग)	0.0181 (हेक्टेयर)	0.0181
15	3371/1	निजी	बंजड़ 1	0.6001 (हेक्टेयर)	0.6001
16	3371/2	निजी	बंजड़ 1	0.1051 (हेक्टेयर)	0.1051
17	6699	सरकारी	चाही ए (वन विभाग)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
18	8814/1	निजी	बारानी 2	0.1048 (हेक्टेयर)	0.1048
19	8814/2	निजी	बारानी 2	0.2188 (हेक्टेयर)	0.2188
Total					2.5434

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2025/02/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 1356(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building Karauli Bypass (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway 23 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 14 in the district of KARauli in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway 23 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 14 in the district of KARauli in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: KARauli		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Karauli					
Village: Karauli					
1	2306	Private	BANJAD 1	0.0262 (Hectare)	0.0262
2	2326/1	Private	TEER 2	0.0323 (Hectare)	0.0323
3	2326/2	Private	TEER 2	0.1053 (Hectare)	0.1053
4	2327/2	Private	GE.MU.NALA	0.0378 (Hectare)	0.0378
5	2332/1	Private	BANJAD 2	0.0273 (Hectare)	0.0273
6	2332/2	Private	BANJAD 2	0.1074 (Hectare)	0.1074
7	2332/3	Private	BANJAD 2	0.0974 (Hectare)	0.0974
8	2333/1	Private	BANJAD 2	0.0494 (Hectare)	0.0494
9	2333/2	Private	BANJAD 2	0.0576 (Hectare)	0.0576
10	2347/1	Government	GE.MU.PAHAD (VAN VIBHAG)	0.7427 (Hectare)	0.7427
11	3139	Private	BARANI 1	0.064 (Hectare)	0.064

12	3140	Private	BARANI 1	0.1345 (Hectare)	0.1345
13	3198	Government	CHAH (SINCHAI VIBHAG)	0.0126 (Hectare)	0.0126
14	3199	Government	CHAH 2 (SINCHAI VIBHAG)	0.0181 (Hectare)	0.0181
15	3371/1	Private	BANJAD 1	0.6001 (Hectare)	0.6001
16	3371/2	Private	BANJAD 1	0.1051 (Hectare)	0.1051
17	6699	Government	CHAH A (VAN VIBHAG)	0.002 (Hectare)	0.002
18	8814/1	Private	BARANI 2	0.1048 (Hectare)	0.1048
19	8814/2	Private	BARANI 2	0.2188 (Hectare)	0.2188
Total					2.5434

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2025/02/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director